

हरिनारायण जन्म 1972 लगे 122 400

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हावा

क्र. न- 305/2013

3-3-22

11.04.2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फारिख

उप./सुविधानुसार विभाजन करके 500/-

रुपये के स्टाम्प पर बंटवारा

लेख तहरीर व तकमील करवाकर मौके पर

उपस्थित करने व पटवारी हल्का व

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तस्दीक करवा लिये जाने से इस वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। बंटवारा लेख दिनांकित 31.03.2022 की फोटोप्रति संलग्न पेश की है। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रस्तुत वादपत्र को आगे नहीं चलाकर विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Chhore
(दिलीप सिंह) 11/04/22

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

